राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2259/2016/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक चतुर्थ, जयपुर .....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री ग्यारसी लाल पुत्र श्री नारायण लाल
   निवासी ग्राम करतारपुरा टीबेवाला तहसील व जिला जयपुर
2. श्रीमती गोमा पत्नी स्व. श्री गेंदीलाल
   निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील व जिला जयपुर
3. श्री रूपचन्द पुत्र सेडूराम
   निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील व जिला जयपुर .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

अनुपस्थित
(एकपक्षीय कार्यवाही) .....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.03.2018

निर्णय

1 यह निगरानी राजस्व द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 142/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरूद्व अधिनियम की धारा–65 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

2 उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्यारसी लाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती गोमा तथा अप्रार्थी संख्या 3 रूपचन्द से ग्राम राजपुरा उर्फ करतारपुरा जयपुर तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं. 379 रकबा एक बिसवा व खसरा 380 एक बीघा 11 बिस्वा क्रय कर इकरारनामा दिनांक 22.10.1982 का निष्पादित किया जो अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांक पर निष्पादित किया गया। जिसे अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा धारा 55 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 22.10.1982 को अप्रार्थी संख्या 1 के इकरारनामा में अंकित निष्पादन दिनांक 22.10.1982 को प्रचलित डीएलसी दर से भूखण्ड का मूल्यांकन कर 20,000/– रूपये कर निर्धारित कमी मुद्रांक कर रूपये 1565/–, शास्ति 3,130/– तथा ब्याज 6,110/– कुल रकम 10,805/– जमा कराने का आदेश दिनांक 20.04.2015 को पारित किया गये। उक्त आदेश दिनांक 20.04.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी राजस्व द्वारा यह निगरानी राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

16/03/18

लगातार.....2.

3 राजस्व की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा कई बार आवाज के बावजूद अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

4 प्रार्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि दिनांक 22.10.1982 को अप्रार्थी संख्या 1 ग्यारसी लाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती गोमा तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्री रूपचन्द के साथ ग्राम करतारपुरा टीबेवाला तहसील व जिला जयपुर स्थित खसरा संख्या 379 रकबा एक बिस्वा व खसरा नं. 380 एक बीघा 11 बिस्वा राशि रूपये 20,000/– में क्रय करने का इकरारनामा किया गया।

5 प्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे यह कथन किया गया कि क्रेता अप्रार्थी संख्या 1 ग्यारसीलाल द्वारा दिनांक 20.04.2015 को प्रश्नगत दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 55 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि प्रकरण धारा 35 के तहत दर्ज कर धारा 36 के प्रावधानों के अधीन निर्णय किया जाना चाहिये था तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की दिनांक को बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज निष्पादन की दिनांक 22.10.1982 को प्रश्नगत सम्पत्ति की तत्समय डीएलसी दर के आधार पर इकरारनामें में दर्ज प्रतिफल राशि को ही लेखपत्र की मालियत मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश प्रदान किये है, जो अविधिक है।

6 राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुद्रांक कर देय होगा। अतः कलैक्टर (मुद्रांक) द्वारा दस्तावेज निष्पादन की दिनांक 22.10.1982 को ही पंजीयन हेतु प्रस्तुत की दिनांक मानकर प्रश्नगत सम्पत्ति की तत्समय डीएलसी दर के आधार पर इकरारनामें में दर्ज प्रतिफल राशि को ही लेखपत्र की मालियत मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश प्रदान किये है, जो अविधिक है। राजस्व के विद्वान अभिभाषक द्वारा दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को बाजार मूल्य के आधार पर किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.04.2015 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

8. प्रार्थी राजस्व की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा सम्पत्ति को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 22.10.1982 को निष्पादित किया।

लगातार.....3.

16/03/18

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्रयशुदा प्रश्नगत सम्पत्ति का इकरारनामा दिनांकित 22.10.1982 को पूर्ण मुद्रांकित कराने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष दिनांक 20.04.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू के आधार पर मुद्रांक शुल्क देय होता है। न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की तिथि को ही प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुद्रांक शुल्क देय होगा।

10. प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 22.10.1982 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 20.04.2015 को पूर्ण मुद्रांक एवं पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया, किन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 22.10.1982 को प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 20,000/–मानते हुये विलेख पूर्ण मुद्रांकित करने के आदेश दिनांक 20.04.2015 को पारित किया। दस्तावेज दिनांक 20.04.2015 को प्रस्तुत गया है अतः दिनांक 20.04.2015 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मूल्यांकन कर मुद्रांक शुल्क देय है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज दिनांक 22.10.1982 अर्थात निष्पादन की दिनांक को आधार मानकर किया गया है, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान सरकार बनाम खण्डाका जैन ज्वैलर्स 2008(1) आर.आर.टी 551** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 20.04.2015 को पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 20.04.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

11. परिमाणस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 को अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय, कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत पुनः दर्ज कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात् दिनांक 20.04.2015 को इस क्षेत्र के लिये प्रचलित बाजार दर (Market Value) के आधार पर निर्धारित की जाकर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि का निर्धारण किया जावें तथा पूर्व में भुगतान किये गये मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क की राशि को समायोजित किया जाये।

12. निर्णय सुनाया गया।

16/03/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य